सं०सं०–1 / अनु०मे०कॉ०अ०–06 / 2012–.....03...(1)ब०

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषकः– **संजय कुमार**
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

अधीक्षक,
अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल,
गया।

पटना, दिनांक–24.अप्रैल, 2012

विषयः– अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया को गैर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में वेतनादि एवं अन्य प्राथमिक ईकाइयों में कुल रु० 15,46,92,500 / – (पन्द्रह करोड़ छियालिस लाख बानबे हजार पाँच सौ रुपये) मात्र के आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया के पत्रांक 633 दिनांक 07.04.2012 के आलोक में अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया को विपत्र कोड एन 2210011100006 में गैर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में संलग्न विवरणी के अनुसार विभिन्न प्राथमिक ईकाइयों में कुल रु० 15,46,92,500 / – (पन्द्रह करोड़ छियालिस लाख बानबे हजार पाँच सौ रुपये) मात्र के आवंटन की स्वीकृति दी जाती है।

2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561 / वि०(2), दि०–17.04.98, 2880 / वि०(2), दि०–06.05.06, 96 / वि०(2), दि०–09.01.08 सहपठित संकल्प सं० 2190 / वि०(2) दि०–17.03.08, 2938 / वि०(2), दि०–08.04.08 एवं 3388 / वि०(2), दि०–18.04.11 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया होगें तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ बिहार, पटना होगें।

4. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापन प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापन प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

5. इस राशि के व्यय का वहन गैर योजना व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–110–अस्पताल तथा औषधालय–0006– मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया, मांग संख्या 20, विपत्र कोड– एन 2210011100006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में गैर योजना आय व्ययक में संबंधित प्राथमिक ईकाइयों में उपबंधित राशि से की जाएगी।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थपित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

24/4/2012

क्रमशः

7. इस राशि से बकाये वेतन विपत्र की निकासी की जा सकेगी, बशर्त्ते कि अधीक्षक बकाये वेतन विपत्र की निकासी के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेगें कि बकाये वेतन की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और उनका दावा नियमानुकूल है तथा नियमित वेतन विपत्र की निकासी में कोई कठिनाई न हो।

8. इस आवंटनादेश में अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया के पत्रांक 633 दिनांक 07.04.2012 द्वारा याचित एवं राज्यादेश संख्या 169(1), दिनांक 14.03.2012 आवंटनादेश संख्या 130(1)ब0, दिनांक 16.03.2012, राज्यादेश संख्या 216(1), दिनांक 29.03.2012 आवंटनादेश संख्या 156(1)ब0, दिनांक 30.03.2012 एवं अन्य आवंटनादेश द्वारा आवंटित राशि से संबंधित विपत्रों की विगत वित्तीय वर्ष में कोषागार द्वारा निकासी नहीं हो पाने के कारण विभिन्न प्राथमिक ईकाइयों में याचित आवंटन की राशि भी समाहित है ।

9. इस आवंटनादेश में मशीनों के मरम्मति एवं रख रखाव के लिए भी मशीनें एवं उपस्कर ईकाई में राशि समाहित है ।

10. इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्त्तों के तहत् किया जाएगा।

11. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, गया से की जाएगी।

12. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

24/4/2012

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–1/अनु०मे०कॉ०अ०–06/2012–..03.(1)ब0/ पटना, दिनांक– 24/04/2012

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, गया/जिलाधिकारी, गया/कोषागार पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/4/12

सरकार के संयुक्त सचिव।

मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया विपत्र कोड एन 2210011100006 को वित्तीय वर्ष 2012–13 में आवंटन			
विषय शीर्ष	बजट उपबंध	वर्त्तमान आवंटन	शेष राशि
01 01 वेतन	61247000	55122300	6124700
01 03 जीवन यापन भत्ता	40893000	36803700	4089300
01 04 मकान किराया भत्ता	6125000	5512500	612500
01 06 चिकित्सा भत्ता	754000	678600	75400
01 07 अन्य भत्ता	956000	860400	95600
योग– वेतन एवं भत्ते	**109975000**	**98977500**	**10997500**
06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	500000	250000	250000
11 01 यात्रा व्यय	170000	85000	85000
13 01 कार्यालय व्यय	2500000	1250000	1250000
13 02 वाहन का ईधन एवं रख रखाव	500000	250000	250000
13 03 दूरभाष	120000	60000	60000
13 04 विद्युत प्रभार	6000000	3000000	3000000
13 05 विधि प्रभार	25000	12500	12500
13 06 वर्दी/पोशाक	400000	300000	100000
14 01 किराया महसूल एवं कर	15000	7500	7500
21 01 सामग्री एवं पूर्तियां	7000000	3500000	3500000
21 02 दवा भण्डार	16000000	8000000	8000000
21 03 आहार/ पथ्य	5000000	2500000	2500000
27 02 अनुरक्षण एवं मरम्मत	40000000	0	40000000
28 01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	40000000	20000000	20000000
34 01 छात्रवृत्ति/वजीफा	10000000	5000000	5000000
52 01 मशीनें एवं उपस्कर	20000000	11500000	8500000
कुल योग :–	**258205000**	**154692500**	**103512500**

मात्र (पन्द्रह करोड़ छियालिस लाख बानबे हजार पाँच सौ) रूपए

03(1)9
24-4-12

24/4/2012

सरकार के संयुक्त सचिव।